फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

र्थी :– डुंगरसिंह | विपक्षी :– वेणीराम

। मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 20 / 19

ांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 28.06.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अब तक अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा आमली पटवार हल्का आमली की आराजी नम्बर 288, 289, 290 के पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned by CamScanner